भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2994

दिनांक 06 अगस्त, 2026 को उत्तरार्थ

.....

केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के कार्यान्वयन की स्थिति

2994. श्री सुनील बोस:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) केन-बेतवा नदी को आपस में जोड़ने की परियोजना की कुल लागत, आबंटित, जारी की गई धनराशि और इसके अंतर्गत अब तक किए गए व्यय सहित इसके कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) उक्त परियोजना के अनुमोदन के बाद से इसके अंतर्गत लागत में हुई वृद्धि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त परियोजना के अंतर्गत कुल कितने वन भूमि, संरक्षित क्षेत्र और वन्य जीव पर्यावासों को अन्यत्र उपयोग किए जाने का प्रस्ताव है और पन्ना बाघ अभयारण्य और संबद्ध जैव विविधता पर इसका अनुमानित प्रभाव क्या है;

(घ) इस परियोजना के कारण विस्थापित होने वाले कुल गांवों, परिवारों और व्यक्तियों की संख्या कितनी है और जिला-वार कितने जनजातीय परिवार प्रभावित हुए हैं;

(ङ) अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत वन अधिकार दावों के निपटान की स्थिति सहित उक्त परियोजना के अंतर्गत प्रभावित व्यक्तियों के लिए प्रदान किए गए अथवा प्रस्तावित मुआवजे, पुनर्वास और पुनर्स्थापन उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार ने इस परियोजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किन्हीं वैकल्पिक जल प्रबंधन उपायों की जांच की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

(श्री राज भूषण चौधरी)

(क): केन-बेतवा लिंक परियोजना का कार्य शुरू कर दिया गया है। इस परियोजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 44,605 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत के साथ अनुमोदित किया गया था, जिसमें 39,317 करोड़ रूपये की केंद्रीय सहायता (अनुदान: 36,290 करोड़ रूपये और ऋण: 3,027 करोड़ रूपये) शामिल थी। जून 2026 तक किया गया व्यय 12,381.94 करोड़ रुपये है।

(ख): वर्ष 2022 में इस परियोजना के अनुमोदन से इसकी लागत में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

(ग): इस परियोजना के लिए कुल 6,017 हेक्टेयर वन भूमि की आवश्यकता है, जिसमें से 5,578.92 हेक्टेयर पन्ना बाघ रिजर्व के अंतर्गत है। दौधन बांध और लिंक नहर के निर्माण के जैव विविधता पर प्रभाव होता है, और इसे कम करने के उपाय इंटीग्रेटेड लैंडस्केप मैनेजमेंट प्लान (आईएलएमपी) के तहत ग्रेटर पन्ना लैंडस्केप काउंसिल (जीपीएलसी) की निगरानी में अपनाए जाते हैं।

(घ) और (ङ): दौधन बांध से संबंधित भूमि अधिग्रहण और पन्ना टाइगर रिजर्व को भूमि हस्तांतरण के संबंध में कुल 22 गांव प्रभावित हुए हैं जिनमें 4,443 विस्थापित परिवार शामिल हैं। इनमें से मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के 14 गांवों में 3,212 विस्थापित परिवार हैं, जबकि मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के 8 गांवों में 1,231 विस्थापित परिवार हैं।

इसके अतिरिक्त, केन-बेतवा लिंक नहर के लिए भूमि अधिग्रहण से 116 गांव प्रभावित हुए हैं, जिनमें छतरपुर जिले के 54 गांव, टीकमगढ़ जिले के 41 गांव, मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के 10 गांव और उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के 11 गांव शामिल हैं।

मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकारों के बीच दिनांक 22.03.2021 के समझौता ज्ञापन के अनुसार, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 या संबंधित राज्य की नीतियों में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा उनके संबंधित क्षेत्राधिकार में परियोजना प्रभावित परिवारों का भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास और पुनर्स्थापन कार्य किया जाना है।

इस संबंध में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 13.09.2023 को एक विशेष पुनर्वास और पुनर्स्थापन पैकेज को मंजूरी दी गई थी।

(च): केन-बेतवा लिंक परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के दौरान विभिन्न वैकल्पिक जल प्रबंधन और इंटरबेसिन अंतरण विकल्पों की जांच की गई थी। तकनीकी, जल विज्ञान, पर्यावरण और सामाजिक आर्थिक आकलन के आधार पर, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सूखा-प्रवण बुंदेलखंड क्षेत्रों के बीच समान जल वितरण प्राप्त करने के लिए केन-बेतवा लिंक की पहचान सबसे व्यवहार्य विकल्प के रूप में की गई थी।
